

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविश/प्रार/आरटीई/19710/बजट घोषणा/बालक पुनर्गण/2023-24

दिनांक :- 18-04-2023

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)  
समस्त जिले।

( ई-मेल )

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10.02.2023 को आरटीई के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क अध्ययनरत बालकों की कक्षा 9 से 12 तक निरन्तर शिक्षा जारी रखने तथा इसके लिए उनकी फीस पुनर्गण के संबंध में।

प्रसंग:- राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- प 8 (1) शिक्षा-5/बजट घोषणावर्ष 2023-24 आरटीई कक्षा 9 से 12 बालकों के लिए/2023 जयपुर, दिनांक-10.04.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10.02.2023 को की गई बजट घोषणा संख्या 33 के अनुसार निजी विद्यालयों में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों की कक्षा 9 से 12 तक पढाई निरन्तर जारी रखने तथा इस के लिए उन की फीस पुनर्गण किये जाने की घोषणा की गयी है।

उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में सत्र 2022-23 में आरटीई के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा-8 में निःशुल्क अध्ययनरत बालकों की क्रमोन्नति उपरांत सत्र 2023-24 में कक्षा-9 में उक्त योजना के अन्तर्गत निःशुल्क बालकों के रूप में निरन्तर अध्ययनरत रखने एवं उनका पुनर्गण राज्य सरकार द्वारा किये जाने के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जानी है:-

1. उक्त योजना शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित की जाएगी।
2. इस योजना में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के तहत सत्र 2022-23 से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत कक्षा-8 के बालक पात्र होंगे जिस से इन बालकों द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अपना अध्ययन जारी रखा जा सके।
3. इस योजना के तहत पात्र बालक जिस गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है, उसी गैर सरकारी विद्यालय में अथवा राज्य में स्थित अन्य गैर सरकारी विद्यालय, जो पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत हो, में कक्षा-9 में प्रवेश ले सकेगा। इस गैर सरकारी विद्यालय में उच्चतम कक्षा तक अध्ययनरत रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय में कक्षा-11 हेतु इच्छित संकाय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पुनः अन्य गैर सरकारी विद्यालय, जो पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा इच्छित संकाय उपलब्ध हो, में कक्षा-11 में प्रवेश लिया जा सकेगा।

4. इस योजना के तहत पात्र बालक द्वारा किसी गैर सरकारी विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के समान ही प्रवेश लिया जा सकेगा। बालक के प्रवेश लेने पर उक्त बालक का नाम स्वतः ही विद्यालय लॉगईन तथा जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगईन में इस योजना के तहत प्रदर्शित होगा।
5. पात्र बालकों को प्रतिवर्ष दो किस्तों में भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से उनके जनाधार से लिंक खाते में किया जाएगा। प्रथम किस्त का पुनर्भरण सत्रारम्भ से भौतिक सत्यापन तक अध्ययनरत रहने पर तथा द्वितीय किस्त का पुनर्भरण वर्षपर्यन्त अध्ययनरत रहने पर किया जायेगा।

**बालकों को उक्त योजना के अन्तर्गत पुनर्भरण किए जाने हेतु निर्देश:-**


6. बालकों की पात्रता की जांच जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन करवाकर की जाएगी। पात्र बालकों में से जिन बालकों के जनाधार की प्रविष्टि गैर सरकारी विद्यालय द्वारा पोर्टल पर नहीं की गई है उनकी प्रविष्टि भौतिक सत्यापन दल द्वारा पोर्टल पर करवायी जायेगी। तथा भौतिक सत्यापन दल द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत पात्र बालक जिस गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है उस गैर सरकारी विद्यालय की कक्षा 9 से 12 की वास्तविक फीस सत्यापित की जाएगी व इस सत्यापित फीस की जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री करवाई जाएगी।
7. प्रतिवर्ष निर्धारित की जाने वाली यूनिट कॉस्ट की राशि के आधार पर निम्न सारणी के अनुसार पात्र बालकों के निःशुल्क अध्ययन हेतु फीस की एवज में दी जाने वाली यूनिट कॉस्ट निर्धारित की जायेगी।

क्र.स.	कक्षास्तर	निर्धारित यूनिटकॉस्ट
01.	कक्षा-9 से 10	प्रतिवर्ष आरटीई विद्यार्थियों हेतु निर्धारित यूनिट कॉस्ट + उक्त यूनिट कॉस्ट राशि का 10 प्रतिशत
02.	कक्षा-11 से 12	प्रतिवर्ष आरटीई विद्यार्थियों हेतु निर्धारित यूनिट कॉस्ट + उक्त यूनिट कॉस्ट राशि का 20 प्रतिशत

8. पात्र बालकों के निःशुल्क अध्ययन हेतु फीस की एवज में विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस एवं यूनिट कॉस्ट में से जो भी कम है उसका जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा।
9. यह पुनर्भरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त बालक की फीस की एवज में चाही गई राशि हेतु क्लेन बिल बनाये जायेंगे इस हेतु पोर्टल पर व्यवस्था करवा दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

10. पात्र बालकों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रतिवर्ष दो किस्तों में पुनर्भरण किया जायेगा। यदि बालक द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त, भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया जाता है तो उसे भुगतान नहीं किया जाएगा परन्तु भौतिक सत्यापन के पश्चात लेकिन सत्रांत से पूर्व विद्यालय छोड़ने पर प्रथम किस्त का पुनर्भरण तो किया जाएगा परन्तु द्वितीय किस्त का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा। लाभान्वित बालक के किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उस सत्र का पुनर्भरण तो देय होगा परन्तु आगामी सत्रों हेतु बालक योजना का पात्र नहीं होगा।
11. योजना के तहत प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/संबंधित परिक्षेत्र के सीबीईओ द्वारा किया जाएगा।

अतः सत्र 2023-24 में कक्षा-9 में उक्त योजना के अन्तर्गत, निःशुल्क अध्ययनरत बालकों का अध्ययन अन्तर्वरत रखने एवं उनका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए उक्त योजना के प्रचार हेतु गैरसरकारी विद्यालय, संगठनों व अभिभावक संगठनों से वार्ता कर उन्हें इस योजना के बारे में अवगत करवायें जिससे अधिक से अधिक बालकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।


  
(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
04. श्री विनोद जैन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. जयपुर को पोर्टल पर व्यवस्थार्थ प्रेषित है।
05. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक निदेशक ( आरटीई )  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर।